कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या– 822 /xxv–12(10)/2018 देहरादून : दिनांक 22 अप्रैल, 2021

सेवा में,

श्री सुभाष परमार, एडवोकेट,
चेम्बर नं0–44, सिविल कोर्ट,
कम्पाउण्ड, देहरादून।
मो0नं0–9634033171,

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–1354 दिनांक 24 मार्च 2021 के साथ आपको अनुरोध पत्र दिनांक 23 मार्च 2021 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके विन्दु संख्या–1 एवं 2 से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके द्वारा अपने पत्र दिनांक 15–4–2021 द्वारा अतिरिक्त शुल्क इस कार्यलय में प्रेषित किया गया है।

आप द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या–1 एवं 2 तक की सूचना 17 (सत्रह) पेजों में संलग्न कर प्रेषित है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

परिसीमन अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 33)

[3जून, 2002]

लोक सभा में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों का प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. **संक्षिप्त नाम**--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परिसीमन अधिनियम, 2002 है ।

2. **परिभाषाएं**--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ख) "सहयुक्त सदस्य" से धारा 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "निर्वाचन आयोग" से अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ; और

(च) "राज्य" के अंतर्गत ऐसा संघ राज्यक्षेत्र भी है जिसमें विधान सभा है, किन्तु इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है ।

3. **परिसीमन आयोग का गठन**--इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् केन्द्रीय सरकार यथाशक्यशीघ्र, परिसीमन आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे :--

(क) एक सदस्य, जो ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह आयोग का अध्यक्ष होगा ;

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, पदेन :

परंतु इस खंड के अधीन किसी सदस्य के रूप में निर्वाचन आयुक्त का नामनिर्देशन करने के पश्चात् इस खंड के अधीन कोई और नामनिर्देशन, धारा 6 के अधीन ऐसे सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ; और

(ग) संबद्ध राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन ।

[1][**स्पष्टीकरण**--खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए संबधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त से--

(i) (मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों से भिन्न) किसी राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 243ट के खंड (1) के अधीन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है ; और

(ii) यथास्थिति, मेघालय राज्य या मिजोरम राज्य या नागालैंड राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, ऐसे प्रयोजनों के लिए उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।]

4. **आयोग के कर्तव्य**--(1) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोक सभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आबंटन का और प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन समझा जाएगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 2 द्वारा स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) आयोग उपधारा (1) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करेगा :

परंतु जहां ऐसे पुनः समायोजन पर लोक सभा में किसी राज्य के लिए केवल एक स्थान आबंटित किया जाता है वहां उस राज्य से लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए संपूर्ण राज्य एक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

5. सहयुक्त सदस्य--(1) आयोग प्रत्येक राज्य के संबंध में अपने कार्यों में सहायता देने के प्रयोजन के लिए दस व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जिनमें से पांच व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे और पांच व्यक्ति उस राज्य की विधान सभा के सदस्य होंगे :

परंतु जहां किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या पांच या उससे कम है, वहां ऐसे सभी सदस्य उस राज्य के लिए सहयुक्त सदस्य होंगे और पश्चात्कथित दशा में, सहयुक्त सदस्यों की कुल संख्या दस से उतनी संख्या से कम होगी जितनी से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या पांच से कम है ।

(2) प्रत्येक राज्य से इस प्रकार सहयुक्त होने वाले व्यक्तियों को, लोक सभा के सदस्यों की दशा में, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा, और राज्य विधान सभा के सदस्यों की दशा में, उस विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन --

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से एक मास के अंदर विभिन्न विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा और दो मास के अंदर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, किए जाएंगे ; और

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसूचित किए जाएंगे, और जहां नामनिर्देशन विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, वहां लोक सभा के अध्यक्ष को भी संसूचित किए जाएंगे ।

(4) सहयुक्त सदस्यों में से किसी को भी आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(5) आयोग को निम्नलिखित को बुलाने की शक्ति होगी--

(क) भारत का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त या उसका नामनिर्देशिती; या

(ख) भारत का महासर्वेक्षक या उसका नामनिर्देशिती ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी ; या

(घ) भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ ; या

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति,

जिसकी विशेषज्ञता और ज्ञान को आयोग द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त सहायता देने के लिए आवश्यक समझा जाए तथा इस प्रकार बुलाए गए अधिकारी और व्यक्ति आयोग की सहायता करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे ।

(6) निर्वाचन आयोग का सचिव, आयोग का पदेन सचिव होगा और आयोग के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की सहायता से अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 [illegible] की धारा 3 द्वारा (31-10-2013 से) "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. **आकस्मिक रिक्तियां**--यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति यथासाध्य शीघ्रता से यथास्थिति, धारा 3 या धारा 5 के उपबंधों के अधीन और अनुसार केन्द्रीय सरकार [illegible] द्वारा की जाएगी ।

7. **आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां**--(1) आयोग, अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और अपने कृत्यों का पालन करने में उसे किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:--

(क) साक्षियों को समन करने और उनको हाजिर कराने की ;

(ख) किसी दस्तावेज का पेश किया जाना अपेक्षित करने की ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करने की ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसी बातों या विषयों के बारे में, जो आयोग की राय में उसके विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हैं, जानकारी देने के लिए अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

(3) आयोग, अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को, उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) और उपधारा (2) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उन शक्तियों में से किसी के प्रयोग में दिए गए आदेश या किए गए किसी कार्य के बारे में यह समझा जाएगा कि, यथास्थिति, वह आदेश या कार्य आयोग का है ।

(4) यदि सदस्यों की राय में मतभेद है तो बहुमत की राय मानी जाएगी और आयोग के कार्य और आदेश बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे ।

(5) इस बात के होते हुए भी कि, कोई सदस्य या सहयुक्त सदस्य अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, या आयोग या सहयुक्त सदस्यों के उस या किसी अन्य समूह में रिक्ति विद्यमान है, आयोग तथा सहयुक्त सदस्यों के किसी समूह को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और आयोग या किसी सहयुक्त सदस्यों के समूह का कोई कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति या ऐसी रिक्ति की विद्यमानता के आधार पर अविधिमान्य या प्रश्नगत नहीं होगी ।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण--साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनों के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

8. **स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन**--आयोग, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के उपबंधों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के सिवाय संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 3 और धारा 39 तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में, अनुच्छेद 239कक के खंड (2) के उपखंड (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा--

(क) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित स्थानों की संख्या अवधारित करेगा और वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगी जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है ; और

(ख) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या अवधारित करेगा और वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगा जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है :

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 4 द्वारा "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परंतु खंड (ख) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या, खंड (क) के अधीन उस राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों की संख्या का पूर्णांकी गुणित होगा ।

9. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन--(1) आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों तथा 1971 की जनगणना के आधार पर यथा पुनः समायोजित प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों को इसमें नीचे उपबन्धित रीति से, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में वितरित करेगा, तथा [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उनका परिसीमन संविधान के उपबंधों और धारा 8 में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात् :--

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र यथासाध्य भौगोलिक रूप में संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखना होगा ;

(ख) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि वह संपूर्ण रूप से एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर आ जाएं ;

(ग) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाएगा और यथासाध्य उन्हें उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है ; और

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, यथासाध्य ऐसे क्षेत्र में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है ।

(2) आयोग--

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की, विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा ;

(ख) ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हैं, और इस प्रकार विचार करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझता है, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें करेगा ; और

(घ) तत्पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा प्रत्येक राज्य के --

(i) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ; और

(ii) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन,

अवधारित करेगा ।

10. आदेशों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीख--(1) आयोग, धारा 8 या धारा 9 के अधीन किए गए अपने प्रत्येक आदेश को भारत के राजपत्र और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और साथ ही ऐसे आदेशों को कम से कम दो देशी भाषा के समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और रेडियो, टेलीविजन और जनता को उपलब्ध अन्य संभव मीडिया में प्रचारित करेगा और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र से संबंधित ऐसे आदेशों के राजपत्रित पाठ को सार्वजनिक सूचना के लिए अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 द्वारा (31-10-2003 से) "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर ऐसा प्रत्येक आदेश विधि का बल रखेगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथासाध्यशीघ्र, ऐसा प्रत्येक आदेश लोक सभा और सबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा में या किसी राज्य विधान सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन और ऐसे किसी आदेश में उपबंधित उन निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, उस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात्, होने वाले, यथास्थिति, उन लोक सभा या विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना में अंतर्विष्ट ऐसे प्रतिनिधित्व और परिसीमन, जहां तक कि ऐसा प्रतिनिधित्व और परिसीमन इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, से संबंधित उपबंधों को अतिष्ठित करते हुए उसी प्रकार लागू होंगे :

[1][परंतु इस उपधारा की कोई बात झारखंड राज्य के संबंध में प्रकाशित परिसीमन आदेशों को लागू नहीं होगी ।]

(5) इस धारा की कोई बात, यथास्थिति, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों या किसी राज्य के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में आयोग के, जो अंतिम आदेश होते हैं, उनके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को विद्यमान, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी, जब तक लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं होता है और ऐसी लोक सभा या विधान सभा की किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए कोई उपनिर्वाचन उन विधियों और आदेशों के उपबंधों के, जिन्हें उपधारा (4) द्वारा अतिष्ठित किया गया है, आधार पर इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त उपबंधों को अतिष्ठित न किया गया हो ।

(6) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने प्रत्येक आदेश को उस उपधारा में उपबंधित रीति में, धारा 3 के अधीन [2][ऐसी अवधि के भीतर जो 31 जुलाई, 2008 के बाद की नहीं होगी] पूरा करने और उसे प्रकाशित करने का प्रयास करेगा ।

[3][**10क. कतिपय मामलों में परिसीमन का आस्थगन**--(1) धारा 4, धारा 8 और धारा 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत की एकता और अखंडता संकट में है या शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है, तो वह, आदेश द्वारा, किसी राज्य में परिसीमन कार्रवाई को आस्थगित कर सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

10ख. झारखंड राज्य की बाबत परिसीमन आयोग के आदेश का कोई विधिक प्रभाव न होना--धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, झारखंड राज्य की बाबत आदेश ओ.एन. 63(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2007 और ओ.एन. 110(अ), तारीख 17 अगस्त, 2007 द्वारा उक्त धारा के अधीन प्रकाशित स्थानों की संख्या के पुनः समायोजन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अंतिम आदेशों का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और उक्त आदेशों के प्रकाशन से पूर्व यथाविद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के पश्चात् कराए गए, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में वर्ष 2026 तक प्रवृत्त बना रहेगा ।]

11. परिसीमन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति--(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर--

(क) आयोग, धारा 9 के अधीन किए गए आदेशों में से किसी में मुद्रण संबंधी भूल या अनवधानता से हुई किसी भूल या लोप के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली किसी गलती को ठीक कर सकेगा ; और

(ख) जहां उक्त आदेशों में से किसी आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं या उसके नाम में कोई परिवर्तन किए जाते हैं वहां आदेशों को अद्यतन करने के लिए ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं, किंतु यह इस प्रकार करेगा कि किसी अधिसूचना से किसी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं या क्षेत्रफल या विस्तार में परिवर्तन नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, लोक सभा और संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

12. निरसन--परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

[1] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

क्रम संख्या–189

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2006 ई0
पौष 07, 1928 शक सम्वत्

भारत परिसीमन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 282 / यू टी ए / 2006
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उप धारा (1) के अनुसरण मे, उत्तरांचल राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के सबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाये गये निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :–

आदेश सं0 – 35

यतः, परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में भारत के राजपत्र और उत्तरांचल राज्य के राजपत्र के दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के असाधारण अंक में प्रकाशित, अपने दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के आदेश सं0 29 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) उत्तरांचल राज्य में लोक सभा के लिए आवंटित किये जाने वाले

कुल स्थानों की संख्या पॉच (5) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए एक(1) स्थान आरक्षित किया जाएगा और शून्य (0) स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या सत्तर (70) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए तेरह (13) स्थान आरक्षित किये जाएंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए दो (2) स्थान आरक्षित किये जाएंगे, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसरण में परिसीमन आयोग ने राज्य के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के लिए राज्य के सह–सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होनें 2001 की जनगणना के सम्बद्ध आकड़ों के आधार पर राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भारत सरकार के राजपत्र और उत्तरांचल राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में 4 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित करने तथा उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझावों को 18 सितम्बर, 2006 तक आमंत्रित करने की इच्छा प्रकट की, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उक्त उप धारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपर्युक्त वर्णित आदेश सं0 29 और सह–सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों सहित परिसीमन आयोग के उक्त सन्दर्भित प्रारूप प्रस्ताव 4 सितम्बर, 2006 को स्थानीय समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किया गया और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा इनका और ज्यादा प्रचार किया गया, और

यतः उस अधिनियम की धारा 9 की उक्त उप धारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 4 सितम्बर, 2006 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के स्थान और तारीखें विनिर्दिष्ट की; और

यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (2) के अनुसरण में, आयोग ने, 9 अक्तूबर, 2006 को नैनीताल में, 12 अक्तूबर, 2006 को पौड़ी में और 13 अक्तूबर, 2006 को देहरादून, में सार्वजनिक बैठकें करके और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ–साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने उनके लिखित आम बैठकों में दिये गये तथा / अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा (4) की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्द्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :–

1. राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें उत्तरांचल राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।

2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें उत्तरांचल राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।

3. सारणी 'क' या 'ख' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन–क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0जा0)" द्वारा चिन्हित किया गया है ।

4. सारणी 'क' या 'ख' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन–क्षेत्र का अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0ज0जा0)"द्वारा चिन्हित किया गया है ।

सारणी – क

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार

क्रम संख्या एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार
	जिला – उत्तरकाशी
1–पुरोला (अ0जा0)	1–मोरी तहसील; 2–पुरोला तहसील; 3–राजगढ़ी (बड़कोट) तहसील की 2–नौगांव, 3–बर्नीगाड़ कानूनगो सर्किलें, 4–राजगढ़ी कानूनगो सर्किल की 39–गडोली और 41–गैर (बनाल) पटवारी सर्किलें ।
2–यमुनोत्री	5–चिन्यालीसौड़ तहसील; 3–राजगढ़ी (बड़कोट) तहसील में 4–राजगढ़ी कानूनगो सर्किल की 40–गुलाड़ी, 42–राजगढ़ी, 43–चपटाड़ी, 44–गंगटाड़ी, 45–नगाणगांव पटवारी सर्किलें और 1–बड़कोट कानूनगो सर्किल; 4–डुण्डा तहसील में 1–डुण्डा कानूनगो सर्किल की 50–कल्याणी, 51–जिनेथ, 52–गेंवला (भंडार स्यू), 53–खुरमोला, 54–जुणगा पटवारी सर्किलें और बड़कोट अधिसूचित

	क्षेत्र।
3–गंगोत्री	6–भटवाड़ी तहसील; 4–डुण्डा तहसील में 1–डुण्डा कानूनगो सर्किल की 46–बड़ेथी, 47–मतली, 48–नाकुरी (बरसाली), 49–बीरपुर (डुण्डा) पटवारीी सर्किलें और 2–भटवाड़ी (धनारी) कानूनगो सर्किल ।
जिला – चमोली	
4–बद्रीनाथ	1–जोशीमठ तहसील; 2–चमोली तहसील का चमोली कानूनगो सर्किल, 2क–चमोली म्युनिसिपल बोर्ड और 3–पोखरी तहसील ।
5–थराली (अ0जा0)	5–थराली तहसील; 2–चमोली तहसील का नन्दप्रयाग कानूनगो सर्किल, नन्दप्रयाग नगरपंचायत और वन क्षेत्र ।
6–कर्णप्रयाग	4–कर्णप्रयाग तहसील और 6–गैरसैंण तहसील ।
जिला – रूद्रप्रयाग	
7–केदारनाथ	1–ऊखीमठ तहसील; 2–रूद्रप्रयाग तहसील का चोपता जाखणी कानूनगो सर्किल ।
8–रूद्रप्रयाग	2–रूद्रप्रयाग तहसील का रूद्रप्रयाग कानूनगो सर्किल, रूद्रप्रयाग नगरपालिका और जखोली तहसील ।
जिला – टिहरी गढ़वाल	
9–घनशाली (अ0जा0)	9–घनशाली तहसील का चमियाला कानूनगो सर्किल, डांगी कानूनगो सर्किल की 4–पौखाल, 5–पिलखी, 6–ठेला, 7–होल्टा, 8–मुयालगावं, 9–डांगी, 10–मैगाधार, 11–अखोड़ी, 12–धौणीखाल, 13–पाख, 14–कठूड़ हिन्दाव, 15–चांजी, 16–पंगरियाणा पटवारी सर्किलें और भिलंगना रेंज पी–3 ।
10–देवप्रयाग	2–देवप्रयाग तहसील की कीर्तिनगर, चन्द्रबदनी कानूनगो सर्किलें, देवप्रयाग एन.ए., देवप्रयाग कानूनगो सर्किल की 37–ललथपाटौ, 38–ललुड़ीखाल, 39–बिड़ाकोट, 40–हिन्डोलाखाल, 41–आमणी, 42–महड़, 43–भटकोट पटवारी सर्किलें और जखणीधार तहसील में जखणीधार कानूनगो सर्किल की 180–पौड़ीखाल, 181–गौमुख, 182–रौड़धार और 183–जगधार पटवारी सर्किलें ।
11–नरेन्द्रनगर	5–नरेन्द्रनगर तहसील; 2–देवप्रयाग तहसील में देवप्रयाग कानूनगो सर्किल की 34–कुर्न, 35–बॉठ, 36–बछेलीखाल, 44–भरपुर और 45–दनसाड़ा पटवारी सर्किलें ।
12–प्रतापनगर	3–प्रतापनगर तहसील; टिहरी तहसील में उदयपुर कानूनगो सर्किल की 106–भल्डियाणा, 107–कांडीखाल, 108–काफलपानी, 109–पाली, 110–सिरांई और 111–पडियारगांव पटवारी सर्किलें; घनसाली तहसील में डांगी कानूनगो सर्किल की 1–मन्दार, 2–देवताधार और 3–चन्द्रेश्वरसैण पटवारी सर्किलें ।
13–टिहरी	4–टिहरी तहसील का चम्बा कानूनगो सर्किल, टिहरी नगरपालिका और चम्बा एन.ए; 7–जाखणीधार तहसील में जाखणीधार कानूनगो सर्किल की 173–नन्दगाँव, 174–गड़ोलिया, 175–जाखणीधार कोटी, 176–नवाकोट, 177–खण्डोगी, 178–अंजनीसैण और 179–गाराकोट पटवारी सर्किलें ।
14–धनोल्टी	6–धनोल्टी तहसील; 4–टिहरी तहसील में उदयपुर कानूनगो सर्किल की 95–कटखेत, 96–लालुरी, 97–बयाड़गांव, 98–मैण्डखाल, 99–लवाणी, 100–कण्डारखाल, 101–छाम, 102–बंगियाल, 103–कैलार, 104–कमान्द, 105–थौलधार पटवारी सर्किलें और टिहरी रेंज।

जिला – देहरादून

15–चकराता (अ0ज0जा0)	1–चकराता तहसील, 5–कालसी तहसील और 6–त्यूनी तहसील।
16–विकासनगर	2–विकासनगर तहसील का विकासनगर कानूनगो सर्किल में 1–बिन्हार पूर्व, 2–बिन्हार पश्चिम, 3–अम्बाडी, 4–पृथ्वीपुर, 5–एनफील्ड ग्रान्ट, 6–ढकरानी, 8–फतेहपुर, 9–वेस्ट होपटाऊन–2, 10–वेस्ट होपटाऊन–1, 11–केदारवाला, 12–रूद्रपुर पटवारी सर्किलें, 11–ए.बी.सी. विकासनगर नगरपालिका परिषद और नगरपंचायत हरबर्टपुर ।
17–सहसपुर	2–विकासनगर तहसील का झाजरा कानूनगो सर्किल, विकासनगर कानूनगो सर्किल की 7–धर्मावाला, 13–सोरना, 24–सहसपुर और 25–जस्सोवाला पटवारी सर्किलें; 3 देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल का 1–आरकेडियाग्रान्ट पटवारी सर्किल ।
18–धरमपुर	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल की 2–सेवला कलां, 3–माजरा, 4–भारूवाला ग्रान्ट, 5–देहराखास, 6–अजबपुर कलां, 9–कांवली पटवारी सर्किलें, रायपुर कानूनगो सर्किल का क्लेमेन्ट टाऊन कैन्टोनमेन्ट, देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 6, 7, 9, 10, 23, 28, 42, 43, 45 और 53।
19–रायपुर	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल का 7–अघोईवाला पटवारी सर्किल, रायपुर कानूनगो सर्किल की 20–गुजराड़ा मानसिंह, 21–डाण्डा लखौन्ड, 22–कन्डौली, 29–द्वारा, 30–रायपुर, 31–मियांवाला पटवारी सर्किलें, रायपुर (जनगणना शहर), देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 13, 15, 20, 26, 29, 35, 36, 44 और 46 ।
20–राजपुर रोड (अ0जा0)	3–देहरादून तहसील में देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 18, 21, 24, 30, 33, 34, 41, 48, 50, 52, 56 और 60।
21–देहरादून कैन्टोनमेन्ट	3–देहरादून तहसील में देहरादून (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) के वार्ड सं0 1, 2, 3 और एफ.आर.आई एवं कॉलेज एरिया, देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 11, 14, 17, 25, 31, 37, 40, 47, 49, 51, 54, 55, 58 और 59।
22–मसूरी	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल की 8–करनपुर खास, 10–कौलागढ़, 11–जाखन, 12–गढ़ी, 13–रिखौली, 14–जोहडी, 15–क्यारकुलीभट्टा पटवारी सर्किलें और रायपुर कानूनगो सर्किल की 16–चामासारी, 17–सिल्ला, 18–सरोना, 19–चलांग पटवारी सर्किलें, मसूरी नगरपालिका परिषद, देहरादून (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) के वार्ड सं0 4, 5, 6, 7 और देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 5, 19, 22, 27, 32, 38, 39, 57 और लन्ढौर कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ।
23–डोईवाला	3–देहरादून तहसील में रायपुर कानूनगो सर्किल की 23–बद्रीपुर, 24–दूधली, 25–नकरौन्दा, 26–बडासीग्रान्ट, 27–मारखमग्रान्ट–I, 28–मारखमग्रान्ट–II, 32–नत्थुवावाला पटवारी सर्किलें; 4–ऋषिकेश तहसील में ऋषिकेश कानूनगो सर्किल की 3–माजरीग्रान्ट, 5–भोगपुर, 6–गडूल, 7–सनगाँव, 8–बरकोटमॉफी, 9–रानीपोखरी ग्रान्ट, [illegible], 12–[illegible] गाँव, 13–जौली ग्रान्ट पटवारी सर्किलें, डोईवाला नगर पंचायत, रामगढ़ रेंज और थानो फॉरेस्ट रेंज ।

24–ऋषिकेश	4–ऋषिकेश तहसील में ऋषिकेश कानूनगो सर्किल की 1–ऋषिकेश, 2–छिद्दरवाला, 4–रायवाला पटवारी सर्किलें और वीरभद्र (आई.टी. एस), प्रतीतनगर (जनगणना शहर)–वार्ड सं0 1 और ऋषिकेश नगरपालिका।
जिला – हरिद्वार	
25–हरिद्वार	2–हरिद्वार तहसील में हरिद्वार (म्युनिसिपल बोर्ड) के वार्ड सं0 1 से 20।
26–बी.एच.ई.एल. रानीपुर	2–हरिद्वार तहसील में बी.एच.ई.एल. रानीपुर एन.ए.सी., ज्वालापुर कानूनगो सर्किल की 02–अहमदपुर कडच, 03–ज्वालापुर, 04–बहादराबाद, 09–सलेमपुर महदूद–I, 10–सलेमपुर महदूद–II, 11–आन्नेकी हेत्तमपुर, 12–औरंगाबाद पटवारी सर्किलें और हरिद्वार (म्युनिसिपल बोर्ड) के वार्ड सं0 21 से 27, गुरूकुल कांगडी (ओ.जी.) –वार्ड सं0 28 और ज्वालापुर महाविद्यालय (ओ.जी.)–वार्ड सं0 29।
27–ज्वालापुर (अ0जा0)	2–हरिद्वार तहसील में ज्वालापुर कानूनगो सर्किल की 01–शेखुपुर उर्फ कनखल, 05–बोडाहेडीमोहीउद्दीनपुर, 06–अतमलपुर बोगंला, 07–रूहेलकी किशनपुर, 08–मीरपुर मवाजपुर, 13–गढ़,
	14–शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, 15–कोटमुरादनगर, 16–सोहलपुर सिकरोडा, 17–डालूवाला, 18–सहदेवपुर सवाजपुर, 19–मुकरपुर, 20–अलावलपुर, 21–अहमदपुर ग्रान्ट और 22–दादूपुर गोविन्दपुर पटवारी सर्किलें; 1–रूड़की तहसील में भगवानपुर कानूनगो सर्किल की 01–बन्जारेवालाग्रन्ट, 02–नोकाराग्रन्ट, 03–दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, 04–फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, 05–औरंगजेबपुर, 06–खेड़ी शिकोहपुर, 07–खेरी शिकोहपुर जे0एम0, 08–सिकरोढा–I, 10–मजाहिदपुरसतीवाला और 11–इब्राहिमपुर मसाही पटवारी सर्किलें।
28–भगवानपुर (अ0जा0)	1–रूड़की तहसील में भगवानपुर कानूनगो सर्किल की 09–सिकरोढा–II, 12–हबीबपुर निवादा, 13–मानक मजरा, 14–जलालापुर डाडा, 15–हसनपुर मदनपुर, 16–छपरशेर अफगनपुर, 17–लतीफपुर खुब्बनपुर, 21–भगवानपुर, 22–हल्लूमजरा पटवारी सर्किलें, वन क्षेत्र, इकबालपुर कानूनगो सर्किल की 09–करोन्दी, 18–सिकन्दरपुर भैंसवाल, 19–सिरचन्दी, 20–खेलपुर नसरूलापुर, 24–रूहालकी दयालपुर, 25–कुन्जा बहादरपुर, 26–चुडियाला सोहनपुर, 27–भलस्वागाज, 28–बिन्दुखडक, 29–बहेडेकी सैदाबाद और 30–मानकपुर आदमपुर पटवारी सर्किलें ।
29–झबरेड़ा (अ0जा0)	1–रूड़की तहसील में इकबालपुर कानूनगो सर्किल की 01–डेलना, 02–हरजोलीझोझा, 03–तांसीपुर, 04–महमूदपुर, 05–पनियाला चन्दापुर, 06–इकबालपुर कमेलपुर, 07–माधोपुर हजरतपुर, 08–नन्हेरा अनन्तपुर, 10–सालियर साल्हापुर पटवारी सर्किलें, मंगलोर कानूनगो
	18–कोटवाल आलमपुर, 19–झबरेड़ा, 20–लथारदेवहुन, 21–थौथकी कवादपुर, 22–कुरडी, 23–उदलहेडी पटवारी सर्किलें और झबरेड़ा एन.ए.सी. ।

30–पिरनकलियार	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 11–गुमावाला, 12–इमलीखेड़ा धर्मपुर 13–मोहम्मदपुर एण्डा 14–रामपुर 17–पिरनकलियार, 18–धनौरी, 19–दौलतपुर, 20–बढेडीराजपूतान, 21–भौंरी, 22–मरगूनपुर दीदाहेडी, 23–डन्ढेली खवाजगीपुर, 24–बेलड़ा पटवारी सर्किलें और भगवानपुर कानूनगो सर्किल का 23–दरियापुर दयालपुर पटवारी सर्किल ।
31–रूड़की	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 15–रूड़की 16–मलकपुर लतीफपुर, 27–बिझोली पटवारी सर्किलें, रूड़की कैन्टोनमेन्ट बोर्ड और रूड़की म्युनिसिपल बोर्ड ।
32–खानपुर	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 24ए–राजपुर मुस्तफाबाद उर्फ गाधोरोना, 25–लण्ढोरा, 26–शिकारपुर, 28–डन्ढेरा, 29–जोरासी, 25ए–टोडाकल्याणपुर पटवारी सर्किलें, डन्ढेरा जनगणना शहर, मोहनपुर मोहम्मदपुर जनगणना शहर, लन्दौरा एन.ए.सी. और 3–लकसर तहसील का खानपुर कानूनगो सर्किल ।
33–मंगलोर	1–रूड़की तहसील में मंगलोर कानूनगो सर्किल की 01–लिब्बरहेडी, 02–मंगलौर, 03–भगवानपुर चन्दनपुर, 04–बन्हेडाटण्डा, 05–मुडलाना, 06–हरज़ोलीजट, 07–कगवाली, 08–हरचन्दपुर, 09–मौहम्मदपुरजट, 10–खेडाजट, 11–कल्याणपुर उर्फ नारसन कलां, 12–नगंलासलारू, 13–टिकोला कलां, 14–नकीबपुर उर्फ घोसीपुरा पटवारी सर्किलें और मंगलोर म्युनिसिपल बोर्ड ।
34–लक्सर	3–लक्सर तहसील का लक्सर कानूनगो सर्किल और लक्सर एन.ए.सी. ।
35–हरिद्वार ग्रामीण	2–हरिद्वार ग्रामीण तहसील का फेरूपुर रामखेड़ा कानूनगो सर्किल ।
जिला – गढ़वाल	
36–यमकेश्वर	7–यमकेश्वर तहसील; 5–लैन्सडौन तहसील का सिलोगी कानूनगो सर्किल, लैन्सडौन कानूनगो सर्किल की 41–लंगूरपल्ला–3, 42–लंगूरपल्ला–4, और 43–सीला–1 पटवारी सर्किलें; 6–कोटद्वार तहसील का पोखाल कानूनगो सर्किल, दोगड्डा कानूनगो सर्किल की 77–सीला– I, 78–सीला–2, 79–सीला–3, 80–सीला–4, 81–सीला–5, 82–लंगूरपल्ला– I, 83–लंगूरपल्ला–2, 84–लंगूरपल्ला–3 तथा 85–लंगुर पल्ला–4 पटवारी सर्किलें और दोगड्डा म्युनिसिपल बोर्ड ।
37–पौड़ी (अ0जा0)	2–पौड़ी तहसील की पौड़ी कानूनगो सर्किल, पौड़ी नगरपालिका, कोट, नाहसैण, मुण्डनेश्वर और अगरोड़ा कानूनगो सर्किलें; 1–श्रीनगर तहसील में श्रीनगर कानूनगो सर्किल की 232–रावतस्यूं, 233–बनगढ़स्यूं और 234–इडवालस्यूं–1 पटवारी सर्किलें।
38–श्रीनगर	1–श्रीनगर तहसील में श्रीनगर कानूनगो सर्किल की 229–कटूल स्यूं–1, 230–कटूलस्यूं–2, 231–कटूलस्यूं–3, 235–चलणस्यूं–1, 236–चलणस्यूं–2, 237–चलणस्यूं–3, 238–चलणस्यूं–4 पटवारी सर्किलें और श्रीनगर म्युनिसिपल बोर्ड; 3–थलीसैण तहसील की चाकीसैन और थलीसैण कानूनगो सर्किलें; 2–पौड़ी तहसील में (#). पोखा कानूनगो सर्किल की 164–घुड़दौड़स्यूं 1, 165–घुड़दौड़स्यूं–2, 166–घुड़दौड़स्यूं–3, 169–बिडोलस्यूं 170–बालीकन्डारस्यूं–1, 171–बालीकन्डारस्यं–2 172–बालीकन्डारस्यं–3 और

	173–बालीकन्डारस्यूं–4 पटवारी सर्किलें ।
39–चौबट्टाखाल	8–चौबट्टाखाल तहसील; 9–सतपुली तहसील और 3–थलीसैण तहसील का बिरोंखाल कानूनगो सर्किल ।
40–लैन्सडौन	4–धुमाकोट तहसील; 5–लैन्सडौन तहसील में रिखणीखाल कानूनगो सर्किल, लैन्सडौन कानूनगो सर्किल की 38–कौड़िया–2, 39–कौड़िया–3, 40–कौड़िया–4, 44–तल्ला बादलपुर–1, 45–तल्ला बादलपुर–2, 46–तल्ला बादलपुर–3 पटवारी सर्किलें और लैन्सडौन कैन्ट बोर्ड ।
41–कोटद्वार	6–कोटद्वार तहसील में दुगड्डा कानूनगो सर्किल की 73–सुखरौं, 74–स्नेह, 75–हल्दूखाता, 76–मोटाढ़ाक पटवारी सर्किलें और कोटद्वार म्युनिसिपल बोर्ड ।
(#) पांबौ कानूनगो सर्किल का शेष भाग चौबट्टाखाल तहसील में सम्मिलित	
जिला – पिथौरागढ़	
42–धारचूला	1–मुनस्यारी तहसील और 2–धारचूला तहसील ।
43–डीडीहाट	3–डीडीहाट तहसील की डीडीहाट, मुवानी, कनालीछिना और अस्कोट कानूनगो सर्किलें; 5–पिथौरागढ़ तहसील में सातशिलिंग कानूनगो सर्किल की 10–बीसाबजेड़, 11–टोटानौला, 13–खर्कदोली, 14–मड़मानले, 15–बन्दा पटवारी सर्किलें, मूनाकोट कानूनगो सर्किल की 17–मूनाकोट, 23–गौड़ीहाट, 24–माजिरकांडा, 25–दोली पटवारी सर्किलें, डीडीहाट नगरपंचायत और वन क्षेत्र ।
44–पिथौरागढ़	5–पिथौरागढ़ तहसील की पिथौरागढ़, गुरना कानूनगो सर्किलें, मूनाकोट कानूनगो सर्किल की 18–कोटली, 19–नाघर, 20–बद्री, 21–मड़सौन, 22–कुतैब पटवारी सर्किलें, सातशिलिंग कानूनगो सर्किल की 9–जीबी, 12–नैनी सैनी, 16–सटगल पटवारी सर्किलें और पिथौरागढ़ नगर परिषद् ।
45–गंगोलीहाट (अ0जा0)	4–गंगोलीहाट तहसील; 3–बेरीनाग तहसील की बेरीनाग और थाल कानूनगो सर्किलें ।
जिला – बागेश्वर	
46–कापकोट	1–बागेश्वर तहसील में बागेश्वर कानूनगो सर्किल की 2–आरे, 8–खुनौली, 10–घिघारतोला, 11–चौरा, 14–तुपेड़, 20–विलखेत पटवारी सर्किलें; 2–कान्डा तहसील और कापकोट तहसील ।
47–बागेश्वर (अ0जा0)	1–गरूड़ तहसील; 2–बागेश्वर तहसील का काफलीगैर कानूनगो सर्किल, बागेश्वर कानूनगो सर्किल की 13–तल्ला कत्यूर, 15–डुग बागेश्वर, 21–रवाईखाल पटवारी सर्किलें और बागेश्वर म्युनिसिपल बोर्ड ।
जिला – अल्मोड़ा	
48–द्वाराहाट	5–चौखुटिया तहसील और 7–द्वाराहाट तहसील ।
49–सल्ट	4–सल्ट तहसील; 1–भिकियासैंण तहसील का [illegible] कानूनगो सर्किलें और 1–भिकियासेंन कानूनगो सर्किल का 9–रोटापानी पटवारी सर्किल ।

50–रानीखेत	1–भिकियासेन तहसील का 2–माचोर कानूनगो सर्किल, 1–भिकियासेन कानूनगो सर्किल की 1–भिकियासेन, 2–डोब, 3–बौरी, 4–सिंगोली, 5–बाड़ना, 6–बिनौली, 7–[illegible] और 8–[illegible] पटवारी सर्किलें; 2–रानीखेत तहसील की 2–तारीखेत, 3–जलाली कानूनगो सकिलें, 1–रानीखेत कानूनगो सर्किल की 1–रानीखेत सदर, 2–पन्तकोटुली, 3–करचुली पटवारी सर्किलें और रानीखेत (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) ।
51–सोमेश्वर (अ0जा0)	6–सोमेश्वर तहसील; 2–रानीखेत तहसील में 1–रानीखेत कानूनगो सर्किल की 4–चौकुनी, 5–दुगौड़ा, 6–पाखुड़ा, 7–सूरी, 8–गड़श्यारी, 9–शहारौं, 10–कुनवाली, 11–नैणी, 12–रियूनी, 13–मल्ली रियूनी और 14–डीडा पटवारी सर्किलें; 3–अल्मोड़ा तहसील में 1–हवालबाग कानूनगो सर्किल की 3–दौलाघट, 4–खौड़ी, 5–गोबिन्दपुर, 6–काटारमल, 7–क्वैराली, 8–कठपुड़िया और 9–शीतलाखेत पटवारी सर्किलें ।
52–अल्मोड़ा	3–अल्मोड़ा तहसील का 2–अल्मोड़ा कानूनगो सर्किल, 3–पनुवानौला कानूनगो सर्किल की 1–लिंगुणता, 2–त्रिनैली, 3–न्योली, 4–पल्यों पटवारी सर्किलें, 1–हवालबाग कानूनगो सर्किल की 1–हवालबाग, 2–पाखुड़ा, 10–सैन्ज, 11–डोबा, 12–खुँट, 13–धामस, 14–ज्योली पटवारी सर्किलें, अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड और अल्मोड़ा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ।
53–जागेश्वर	8–जैंती तहसील; 9–भनोली तहसील 3–अल्मोड़ा तहसील का 4–लमगढ़ा कानूनगो सर्किल और 3–पनुवानौला कानूनगो सर्किल का 5–तोली पटवारी सर्किल ।
	जिला – चम्पावत
54–लोहाघाट	3–पाटी तहसील; 4–लोहाघाट तहसील और 5–बाराकोट उप–तहसील ।
55–चम्पावत	1–चम्पावत तहसील और 2–श्री पुर्णागिरी तहसील ।
	जिला – नैनीताल
56–लालकुवां	6–लालकुवां तहसील; 5–हल्द्वानी तहसील का काठगोदाम कानूनगो सर्किल और लालकुवां कानूनगो सर्किल का 60–अर्जुनपुर पटवारी सर्किल ।
57–भीमताल	4–धारी तहसील; 3–नैनीताल तहसील का रामगढ़ कानूनगो सर्किल, भीमताल कानूनगो सर्किल की 26–चांफी, 27–पान्डेगॉव, 28–पूर्व छखाता, 29–रौसिल, 54–पिनरॉन पटवारी सर्किलें और भीमताल नगर पालिका ।
58–नैनीताल (अ0जा0)	1–बेतालघाट तहसील; 2–कोश्यां कुटोली तहसील; 3–नैनीताल तहसील में भीमताल कानूनगो सर्किल की 24–भवाली, 25–पश्चिम छखाता पटवारी सर्किलें, बगड़ कानूनगो सर्किल की 31–खुर्पाताल, 32–मंगोली, 33–बगड़, 34–स्यात, 35–तल्लाकोटा, 36–सौढ़, 37–अमगढ़ी पटवारी सर्किलें, वन क्षेत्र, नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड, नैनीताल कैन्टोनमेन्ट बोर्ड और भोवाली म्युनिसिपल बोर्ड ।

59–हल्द्वानी	5–हल्द्वानी तहसील में हल्द्वानी–एवं–काठगोदाम, (म्युनिसिपल बोर्ड + बाह्य विकास) के वार्ड सं0 1 से 25, दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 26, कोर्ता (चानमारी मोहल्ला) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 27, ब्युरा (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 28, बामोरी मल्ली (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 29, बामोरी तल्ली बन्दोबस्ती अमरावती कॉलोनी, शक्ति विहार, भट्ट कॉलोनी (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 30 और बामोरी तल्ली खान (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 31 ।
60–कालाढूँगी	7–कालाढूँगी तहसील; 3–नैनीताल तहसील में बगड़ कानूनगो सर्किल का 30–चौपड़ा पटवारी सर्किल; 5–हल्द्वानी तहसील में हल्द्वानी कानूनगो सर्किल की 63–हल्द्वानी खास, 66–लामाचौड़, 67–फतेहपुर, 68–भगवानपुर, 69–कामलुवागान्जा, 71–लोहारियाशाल, 73–देवालचौर, 74–कुसुमखेड़ा पटवारी सर्किलें, लालकुवां कानूनगो सर्किल की 70–चान्दनीचौक, 75–आनन्दपुर पटवारी सर्किलें, हल्द्वानी एवं काठगोदाम (म्युनिसिपल बोर्ड + बाह्य विकास) के मुखानी (रूपनगर, बसन्त विहार कॉलोनी तथा वकीलों का जजस फार्म) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 32, मानपुर उत्तर (पालिका यातायात नगर) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 33 हरीपुर सरवा (वैन कैन्सर
	अस्पताल) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 34, हल्द्वानी तल्ली (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 35, गोजाजाल्ली उत्तर (शिशु भारतीय विद्या मन्दिर) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 36, कुसुम खेरा (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 37, बिठौरिया नं0–1 (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 38 और वन क्षेत्र ।
61–रामनगर	8–रामनगर तहसील ।
	जिला – उधमसिंह नगर
62–जसपुर	5–जसपुर तहसील; 4–काशीपुर तहसील का 1–कुण्डा कानूनगो सर्किल।
63–काशीपुर	4–काशीपुर तहसील में 2–पैंगा कानूनगो सर्किल की 3–पैंगा, 6–खोखराताल, 7–बांसखेड़ा, 8–बसई पटवारी सर्किलें, 3–काशीपुर कानूनगो सर्किल की 10–महेशपुरा, 11–धनौरी पट्टी, 12–गोपीपुरा, 13–गंगापुर गुसांई, 14–मानपुर पटवारी सर्किलें, काशीपुर म्युनिसिपल बोर्ड और रामनगर वन क्षेत्र ।
64–बाजपुर (अ0जा0)	4–काशीपुर तहसील में 2–पैंगा कानूनगो सर्किल की 2–रजपुरानी रानी, 4–बरखेड़ा पाण्डे, 5–दभौरा पटवारी सर्किलें, 3–काशीपुर कानूनगो सर्किल की 9–ढकियाकलां, 15–प्रतापपुर, 16–कुन्डेश्वरी पटवारी सर्किलें और महुवाखेड़ागंज टी.ए.सी.; 6–बाजपुर तहसील में 1–बाजपुर–I कानूनगो सर्किल की 3–महोली जंगल, 4–हजीरा, 5–बरहैनी 6–हरीपरा 7–बैरिया दौलत, 8–भजवानगला पटवारी
	सर्किलें, 2–बाजपुर–II कानूनगो सर्किल की 12 गुलारीपुर, 13–रम्पुराशाकर, 14–सुल्तानपुर, 15–फरीदपुर, 16–विक्रमपुर, 17–जोगीपुरा, 18–बिराहा, 20–महेशपुरा, 21–खुशालपुर, 22–रतनपुर, 23–बंतखेड़ी पटवारी सर्किलें, क–म्युनिसिपल बोर्ड बाजपुर, सुल्तानपुर टी.ए.सी. और बन्ना खेड़ा वन क्षेत्र ।

65–गदरपुर	6–बाजपुर तहसील मे 1–बाजपुर–I कानूनगो सर्किल की 1–केलाखेड़ा, 2–चकरपुर, 9–बरवाला, 10–गणेशपुर, 11–बद्रीपुर पटवारी सर्किल, 2–बाजपुर–II कानूनगो सर्किल की 19–भुड़याकला पटवारी सर्किल और ग–टी.ए.सी. केलाखेड़ा; 7–गदरपुर तहसील का 1–गदरपुर कानूनगो सर्किल, 2–दिनेशपुर कानूनगो सर्किल की 8–कुल्हा, 9–धनपुर विजयपुर, 13–विजयनगर पटवारी सर्किलें, पीपल पड़ाव वन क्षेत्र, दिनेशपुर टी.ए.सी. और गदरपुर म्युनिसिपल बोर्ड ।
66–रूद्रपुर	7–गदरपुर तहसील में 2–दिनेशपुर कानूनगो सर्किल की 10–बरीराई, 11–मेहतोष, 12–चन्दायन और 14–अमरपुर पटवारी सर्किलें; 3–किच्छा तहसील में 2–रूद्रपुर कानूनगो सर्किल की 20–रम्पुरा, 22–दानपुर, 23–मटकोटा, 24–कल्याणपुर पटवारी सर्किलें, टांडा वन क्षेत्र और रूद्रपुर म्युनिसिपल बोर्ड ।
67–किच्छा	3–किच्छा तहसील में 1–किच्छा कानूनगो सर्किल की 4–नजीमावाद, 5–भंगा, 6–सिरोलीकला, 7–किच्छा, 8–इन्द्रपुर, 10–जवाहरनगर, 11–नगला पटवारी सर्किलें, डौली वन क्षेत्र, 2–रूद्रपुर कानूनगो सर्किल की 12–छिनकी, 13–दरऊ, 14–कुरैय्या, 15–चुकटी, 16–भमरौला, 17–शिमला पिस्तौर, 18–कनकपुर, 19–देवरिया, 21–फूलबाग पटवारी सर्किलें और किच्छा म्युनिसिपल बोर्ड ।
68–सितारगंज	2–सितारगंज तहसील में 1–सितारगंज कानूनगो सर्किल की 1–कुंवरपुर, 2–तिलियापुर, 3–नकहा, 4–नकुलिया, 5–पिन्डरी, 6–बरूवाबाग, 9–रम्पुरा, 10–रूदपुर, 11–नकटपुरा, 12–सरकड़ा, 13–सितारगंज पटवारी सर्किलें, सितारगंज म्युनिसिपल बोर्ड और शक्तिगढ़ टी.ए.सी.; 3–किच्छा तहसील में 1–किच्छा कानूनगो सर्किल की 1–फिरोजपुर, 2–बरा, 3–शहदौरा और 9–कोटखर्रा पटवारी सर्किलें।
69–नानकमत्ता (अ0ज0जा0)	2–सितारगंज तहसील का 2–नानकमत्ता कानूनगो सर्किल, 1–सितारगंज कानूनगो सर्किल की 7–बिजटी, 8–मैनाझुन्डी पटवारी सर्किलें, बराखोली फौरेस्ट रैन्ज और रैंखाल फौरेस्ट रैन्ज; 1–खटीमा तहसील में 1–खटीमा कानूनगो सर्किल की 1–उमरूखुर्द, 3–गुरखेड़ा, 4–झनकट, 5–पहेनिया, 7–नौगवांठगू, 8–मुण्डेली और 10–फुलैया पटवारी सर्किलें ।
70–खटीमा	1–खटीमा तहसील में 1–खटीमा कानूनगो सर्किल की 2–सरपुरा, 6–जरासु परतापुर, 9–बड़ी अंजनियां, 11–सिसैया, 12–मझोला, 13–नगला तराई, 14–जादोपुर, 15–हल्दी, 16–सुनपहर पटवारी सर्किलें, क–म्युनिसिपल बोर्ड–खटीमा, झनकइया फौरेस्ट रैन्ज, 2–महोप फौरेस्ट रैन्ज, 2–बिगराबाग कानूनगो सर्किल, दोगाड़ी फौरेस्ट रैन्ज, खटीमा फौरेस्ट रैन्ज, किलपुरा फौरेस्ट रैन्ज और लोहिया हैड फौरेस्ट रैन्ज ।

सारणी–ख

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व कम संख्या	विस्तार
1–टिहरी गढ़वाल	1–पुरोला (अ0जा0), 2–यमुनोत्री, 3–गंगोत्री, 9–घनशाली (अ0जा0), 12–प्रतापनगर, 13–टिहरी, 14–धनोल्टी, 15–चकराता (अ0ज0जा0), 16–विकासनगर, 17–सहसपुर, 19–रायपुर, 20–राजपुर रोड (अ0जा0),
	21–देहरादून कैंट और 22–मसूरी ।
2–गढ़वाल	4–बद्रीनाथ, 5–थराली (अ0जा0), 6–कर्णप्रयाग, 7–केदारनाथ, 8–रूद्रप्रयाग, 10–देवप्रयाग, 11–नरेन्द्रनगर, 36–यमकेश्वर, 37–पौड़ी (अ0जा0), 38–श्रीनगर, 39–चौबट्टाखाल, 40–लैन्सडौन, 41–कोटद्वार और 61–रामनगर ।
3–अल्मोड़ा (अ0जा0)	42–धारचूला, 43–डीडीहाट, 44–पिथौरागढ़, 45–गंगोलीहाट (अ0जा0), 46–कापकोट, 47–बागेश्वर (अ0जा0), 48–द्वाराहाट, 49–सल्ट, 50–रानीखेत, 51–सोमेश्वर (अ0जा0), 52–अल्मोड़ा, 53–जागेश्वर, 54–लोहाघाट और 55–चम्पावत ।
4–नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	56–लालकुवां, 57–भीमताल, 58–नैनीताल (अ0जा0), 59–हल्द्वानी, 60–कालाढूँगी, 62–जसपुर, 63–काशीपुर, 64–बाजपुर (अ0जा0), 65–गदरपुर, 66–रूद्रपुर, 67–किच्छा, 68–सितारगंज, 69–नानकमत्ता (अ0ज0जा0) और 70–खटीमा ।
5–हरिद्वार	18–धरमपुर, 23–डोईवाला, 24–ऋषिकेश, 25–हरिद्वार, 26–बी.एच.ई.एल. रानीपुर, 27–ज्वालापुर (अ0जा0), 28–भगवानपुर (अ0जा0), 29–झबरेड़ा (अ0जा0), 30–पिरनकलियार, 31–रूड़की, 32–खानपुर, 33–मंगलोर, 34–लक्सर और 35–हरिद्वार ग्रामीण ।

नोट : इस सारणी – क में किसी जिला, तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवारी सर्किल, नगर पालिका तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के लिए किसी सदंर्भ का मतलब उस जिला, तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवारी सर्किल, नगर पालिका तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के अन्तर्गत फरवरी मास के 15 (पन्द्रहवें) दिन, 2004 को सम्मिलित क्षेत्र माने जाएंगे।

ह0/–
आर. के. वर्मा
सदस्य

ह0/–
एन. गोपालास्वामी
सदस्य

ह0/–
कुलदीप सिंह
अध्यक्ष

आदेश से,

शंगारा राम,

सचिव।

16/4/21

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड / लोक सूचना अधिकारी
विश्वकर्मा भवन - प्रथम तल सचिवालय
परिसर - सुभाष रोड देहरादून

महोदय

प्रार्थी द्वारा दि० -23-3-2021 को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई, जिसमे आपके पत्रांक संख्या - 700/XXV-12(10)/2018 देहरादून दि- 3-4-2021 के द्वारा बताया गया कि मांगी गई सूचना के लिये प्रार्थी को 34 रु० जमा करने को कहा गया, महोदय आपके कहे अनुसार प्रार्थी 40 रु० का पोस्टल आर्डर शुल्क के रूप मे जमा कर रहा है।

संलग्न

(1) पोस्टल आर्डर नं०- 54F718981 ₹=10 रुपये
54F718982 ₹=10 रुपये
(2) - " 54F718983- ₹-10 रु०
(3) " 54F718984 ₹ 10 रु०
(4) "
कुल- 40 रुपये मात्र

प्रार्थी

सुभाष परमार
(एडवोकेट)
फोन नं०- 44 सिविल कोर्ट
कम्पाउण्ड देहरादून